बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 5 .11.2026

सं0–12/पद0–3002/2026 सा0प्र0– 20304 /बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित वरीय उप समाहर्त्ता को अपने कार्यों के अतिरिक्त स्तंभ–3 में अंकित जिले के सदर अनुमंडल–2 के अंतर्गत कंडिका–4 में अंकित अंचलों के राजस्व सीमा में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रूप में कार्य करने हेतु शक्ति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	वरीय उप समाहर्त्ता का नाम	जिला का नाम	संबंधित सदर अनुमंडल–2 के अंचलों का नाम
1	2	3	4
01	श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0–878/26) वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर	बक्सर	1. इटहरी 2. राजपुर
02	श्रीमती रितु रानी, बि0प्र0से0 (को0क्र0–807/26) वरीय उप समाहर्त्ता, गोपालगंज	गोपालगंज	1. मांझा, 2. सिंधवलिया, 3. थावे 4. हथुआ, 5. कटैया,

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.11.2026

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–12/पद0–3002/2026 सा0प्र0– 20304 **/पटना, दिनांक–** 5 .11.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बक्सर/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.11.2026

सरकार के उप सचिव।